23.8.18 पत्रावली पेश हुई, वादीगण अधिवक्ता उपस्थित वादीगण अधिवक्ता ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वादि अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि प्राथीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नही मिली तो अपूरणीय क्षति होगी। मैंने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एंव प्राथीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा